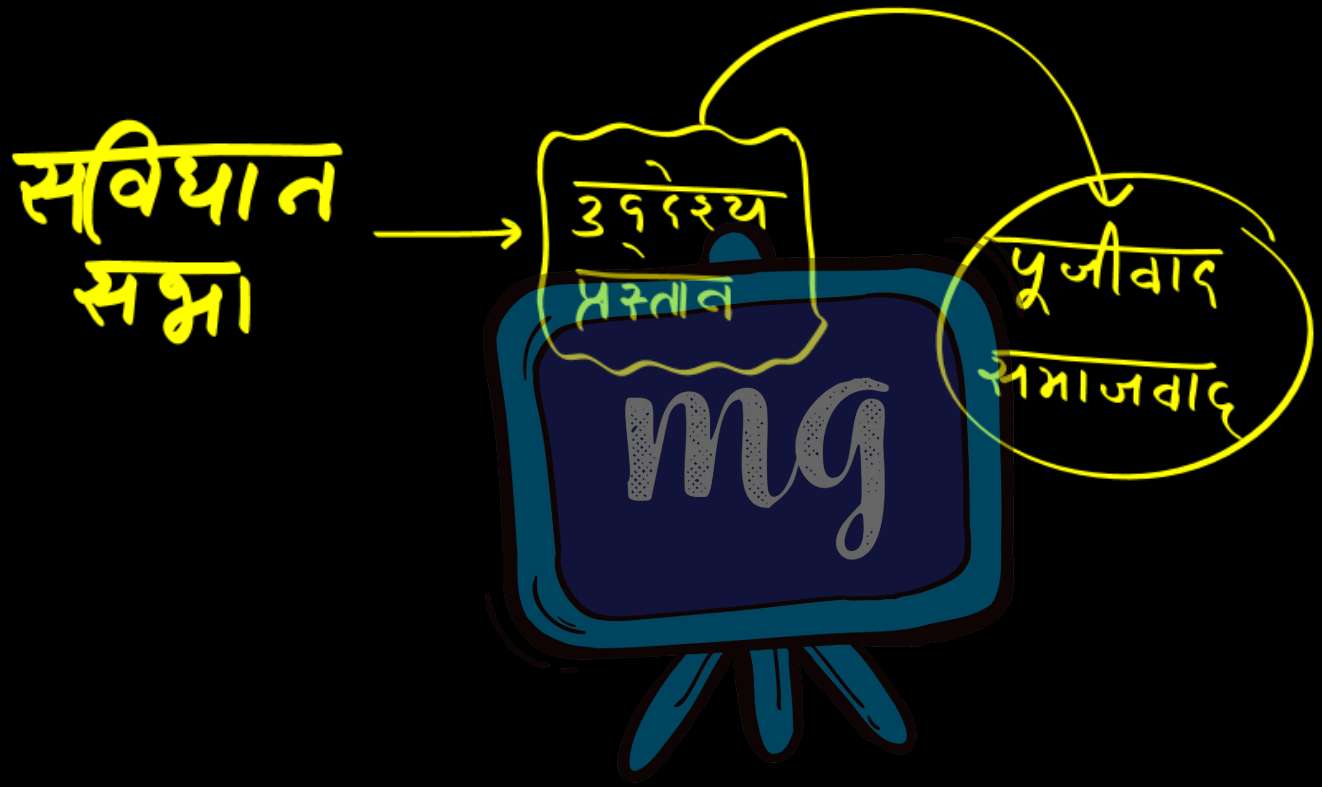

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER
12th HISTORY
ARJUN BATCH
संविधान का निर्माण
अध्याय-12 | भाग-03
16 सितंबर 2026 || 04:00 PM
CONSTITUTION OF INDIA

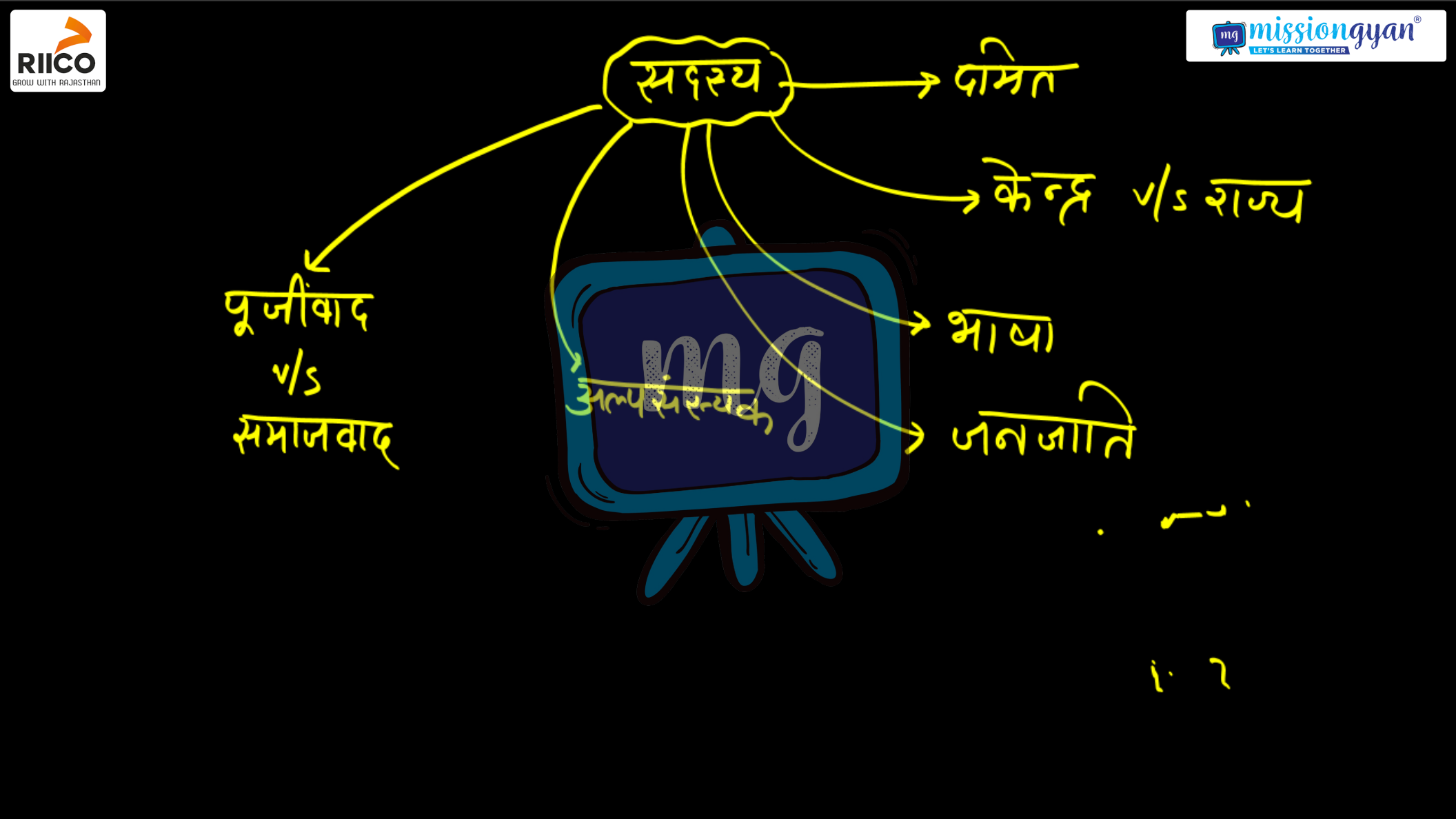
RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

लोगों की इच्छा

पूंजीवाद	समाजवाद
ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है।	समाजवादी व्यवस्था में धन–सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है।
इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास भूमिका नहीं होती है।	समाजवादी निजी सम्पत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

लोगों की इच्छा

संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिडी :-

संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिडी को सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गहरी छाप दिखाई देती थी। क्योंकि 1946-47 ई. की सर्दी में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी उस समय अंग्रेज भारत में ही थे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शासन चलाने वाली अंतरिम सरकार भी वायसराय की देखरेख में ही कार्य कर रही थी।
- कम्युनिस्ट (साम्यवाद) :- सब वस्तुओं में सबका समान अधिकार रखने का सिद्धांत।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

इसका जवाब देते हुए नेहरू जी ने कहा था –

सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर लोग हमें ले जाना चाहेंगे फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हों।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था।
- लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श उन्नीसवीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे।
- जब समाज सुधारकों ने बाल-विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय की ही अलख जगा रहे थे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- जब विवेकानंद ने हिन्दू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वे धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे।
- जब ज्योतिबा फुले ने दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था। कम्युनिस्टों ओर सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- जैसे-जैसे संविधान सभा में बहस आगे बढ़ी, सदस्यों के सामने अनेक सवाल थे :-
  - नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं ?
  - क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए ?
  - अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो ?
  - वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए ?
- इनमें से किसी भी सवाल का ऐसा उत्तर मौजूद नहीं था जिस पर पूरी सभा सहमत थे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- इन सभी अभिव्यक्तियों (सवालों) पर बहस करना जरूरी था।
- परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुँचना और एक आम सहमति पर पहुँचना जरूरी था।



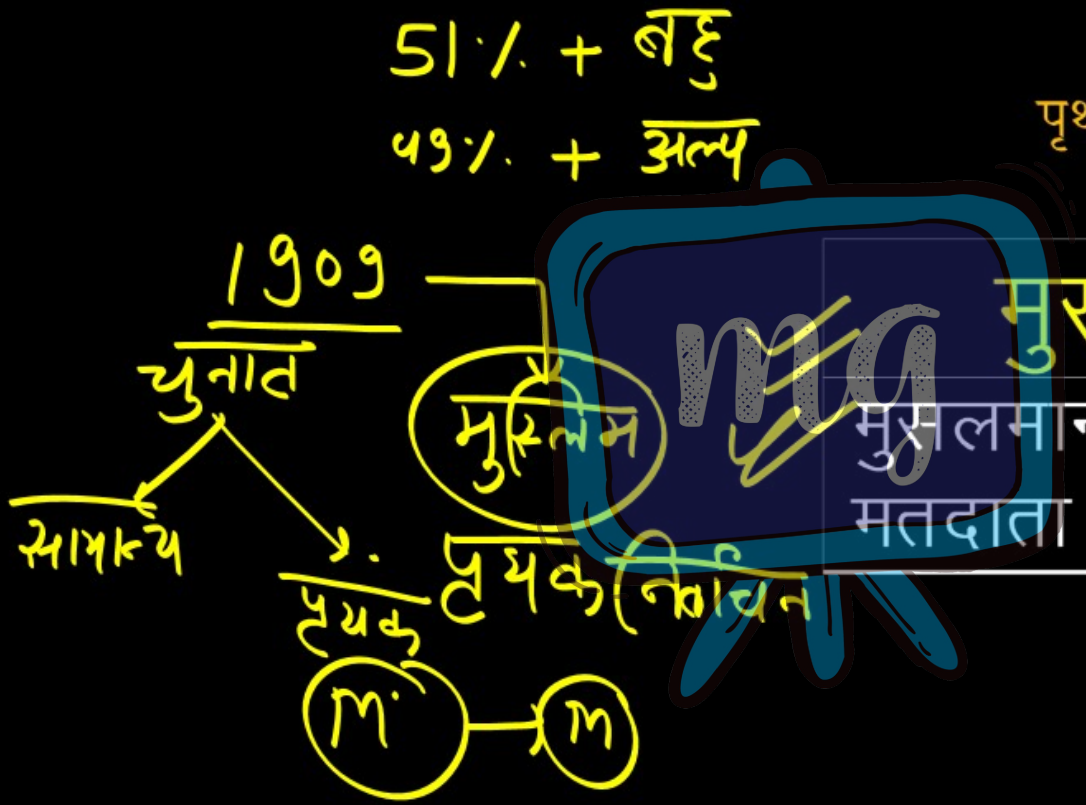
RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

51% + बहु

49% + अल्प

पृथक निर्वाचिका की समस्या



मुसलमान नेता	
मुसलमान मतदाता	अन्य मतदाता

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- मद्रास के बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया :-

अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं : उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत है एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज सुनी जाये और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाये।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता।

- बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते।

- इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर गरमागरम बहस चली इसके खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी।



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

सरदार पटेल ने कहा था कि – पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिये, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी।

''क्या तुम इस देश में शान्ति चाहते हो ? अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो।''

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



गोविन्द वल्लभ पंत – पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है।

यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग-थलग कर देगी।

लेकिन बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझें।

गोविन्द वल्लभ पंत ने कहा था – ''हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं....

हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है।''

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी।
- हर समुदाय को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था।
- सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए – बेगम ऐजाज रसूल।
- 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

मुस्लिम = पृथक निर्वाचन

हाँ

B. पोखर
मद्रास

✓ अन्य धर्म
✓ हक/अधिकार

नहीं

→ सरदार पटेल
→ अन्य राष्ट्रवादी
→ G.V. Pant

अंग्रेजी चाल

पृथकनि. - मुस्लिम

~~समाज~~

→ 1949
×



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

Gyan Shower

अधिकारों का निर्धारण

➢ पृथक निर्वाचिका की समस्या:

❑ पृथक निर्वाचिका: अलग चुनाव प्रणाली

पक्ष	विपक्ष
➢ 27 अगस्त 1947: बी. पोकर बहादुर (मद्रास) ❖ अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो	➢ बी. पोकर बहादुर के तर्कों से राष्ट्रवादी भड़क गए ❖ पृथक निर्वाचिका: लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल

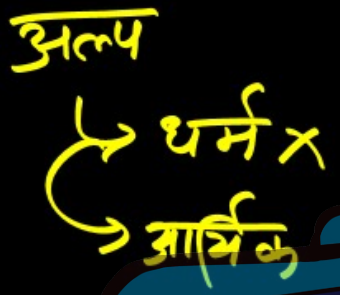




1949 तक: संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है

किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने कहा कि - अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे-कुचले लोग थे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

संविधान सभा में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे है लेकिन जब तक इन अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि –

- अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है।
- या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं।
- और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताऐं हैं।

- ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके।
- "उन्हें सहारों की जरूरत है। उन्हें एक सीढ़ी चाहिए।"



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने कहा था –

महोदय अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो वह मेरा समूह है।

जयपाल सिंह ने आदिवासियों को सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर व्यक्त्व दिया।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे।
- उन्हें जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया।
- उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें घृणा की नजर से देखता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आरक्षण

जयपाल सिंह – "उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।"

"हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। हम आप के साथ मेलजोल चाहते हैं।"

उन्होंने विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की मांग की।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

''हमें हजारों साल तक दबाया गया है''

- संविधान में दमित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए ?
- इन्हें किस तरह सुरक्षा दी जा सकती है ?
- राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। जिसका गांधी जी ने विरोध किया था।

गांधी जी का तर्क :- ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे।

दलित/दमित :- समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है, अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने-मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता।

उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

संविधान सभा ने सुझाव दिया कि –

- अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाये।
- हिन्दू मन्दिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाये।
- और निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाये।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

हमने विशेषाधिकार कभी नहीं माँगे

बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की माँग की, आरक्षित सीटों की नहीं और न ही पृथक चुनाव क्षेत्र की :

हमने विशेषाधिकार कभी नहीं माँगे। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की माँग की है। हमने उस बराबरी की माँग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

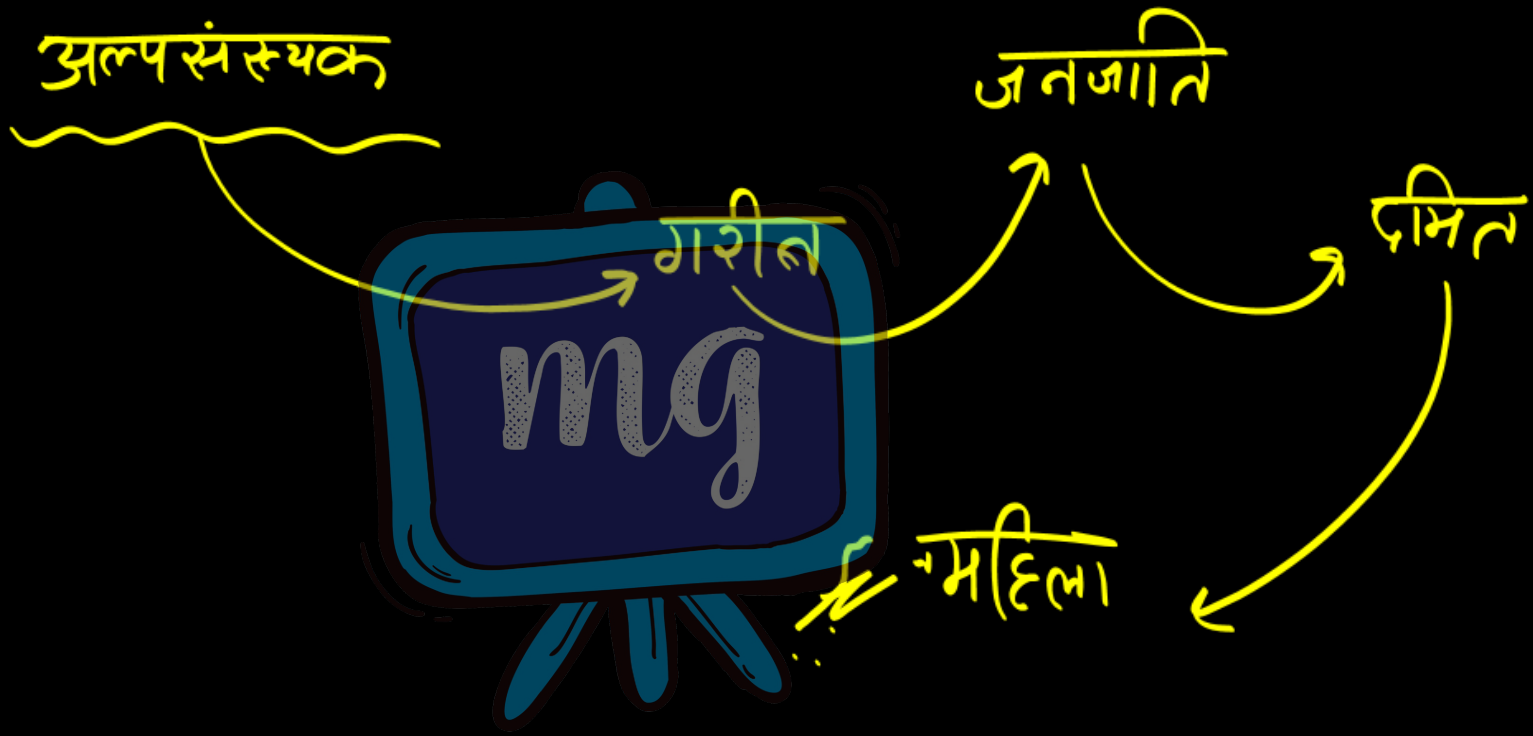
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

काल-रेखा

1945	
26 जुलाई	ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है
दिसंबर-जनवरी	भारत में आम चुनाव
1946	
16 मई	कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है
16 जून	मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है
16 जुलाई	कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है
16 अगस्त	मुस्लिम लीग द्वारा 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' का एलान
2 सितंबर	कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है
13 अक्तूबर	मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है
3-6 दिसंबर	ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता।
9 दिसंबर	संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं
1947	
29 जनवरी	मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की माँग करती है
16 जुलाई	अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक
11 अगस्त	जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है
14 अगस्त	पाकिस्तान की स्वतंत्रता : कराची में जश्न
14-15 अगस्त मध्यरात्रि	भारत में स्वतंत्रता का जश्न
1949	
दिसंबर	संविधान पर हस्ताक्षर

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

mg missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

9. संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन होने के मुद्दे पर क्या बहस हुई?



केन्द्र - राज्य

UK

USA



केन्द्र

राज्य① राज्य②

संविधान में भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है।

संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए।

एकात्मक व्यवस्था	संघात्मक शासन व्यवस्था
जहां शासन सत्ता एक ही केन्द्र में निहित होती है।	संविधान के द्वारा केन्द्र व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है।
एकल नागरिकता होती है।	दोहरी नागरिकता होती है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- जवाहर लाल नेहरू और संविधान सभा के कई सदस्य शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में थे।
- संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में नेहरू जी ने कहा था – ''अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है..... एक दुर्बल केन्द्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी क्योंकि ऐसा केन्द्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा।''

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

शासन

- संविधान के मसविदे में विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया था –

1. केन्द्रीय सूची :– इसमें शामिल विषय केन्द्र सरकार के अधीन होते थे।
2. राज्य सूची :– इसमें शामिल विषय राज्य सरकारों के अधीन होते थे।
3. समवर्ती सूची :– इसमें शामिल विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती थीं।

- लेकिन दोनों सरकारों के बीच विवाद होने पर उस विषय को केन्द्र सरकार के अधीन माना जायेगा।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

भारत में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है:-

- अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केन्द्रीय नियंत्रण में रखा गया है।
- खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केन्द्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया।
- अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- कुछ करों (जैसे – सीमा शुल्क और कम्पनी कर) से होने वाली सारी आय केन्द्र सरकार के पास रखी गयी है।
- आय कर और आबकारी कर से प्राप्त आय राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच बाँट दी गई है।
- हालांकि राज्य स्तरीय सीमा शुल्क से प्राप्त आय राज्य की ही होती है, राज्य सरकारों को कुछ कर वसूलने का अधिकार भी दिया गया है।

जैसे – जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर, शराब पर अलग से कुछ कर लगा सकते हैं।

केन्द्र 1



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

केन्द्र बिखर जायेगा

- के. संथानम ने राज्यों के अधिकारों की हिमायत की।
- के. संथानम ने कहा कि अगर केन्द्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा।
- केन्द्र के कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केन्द्र ज्यादा मजबूत हो सकता है।
- शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- भू-राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केन्द्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं।
- यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाऐं कैसे चलेंगी ?
- संथानम :- मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केन्द्र से कहना पड़े कि -

1. मैं अपने लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता,
2. मैं उन्हें साफ-सफाई नहीं दे सकता,
3. मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए।

- उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त जाँच-पड़ताल के बिना शक्तियों का यह वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जायेगा।
- कुछ ही सालों में सारे प्रान्त ''केन्द्र के विरूद्ध'' उठ खड़े होंगे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है

- प्रान्तों के लिए अधिक शक्तियों की मांग के लिए संविधान सभा में तीखी बहस हुई।
- शक्तिशाली केन्द्र की जरूरत को भी कई अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था।
- अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वे ''एक शक्तिशाली और एकीकृत केन्द्र'' चाहते हैं।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े – टुकड़े हो रहा था, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने केन्द्र की शक्तियों में भारी इजाफा करने की बात पर जोर दिया ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके।

गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि ''केन्द्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए।''

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि एक शक्तिशाली केन्द्र का होना जरूरी है ताकि –

- वह देश के हित में योजना बना सके।
- उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके।
- एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकें।
- और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकें।

अतः भारत में राज्यों की अपेक्षा केन्द्र ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

राष्ट्र की भाषा

- भारत एक विशाल देश है, देश के विभिन्न भागों में लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं।
- काफी लोग एक -दूसरे की भाषा भी नहीं समझते।
- ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा क्या हो?
- इस मुद्दे पर संविधान सभा में कई दिनों तक बहस चली, कई बार काफी तनातनी भी पैदा हो गयी।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- महात्मा गाँधी जी का मानना था कि हरेक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें।
- हिन्दी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय लोगों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाती थी।
- गाँधी जी को लगता था कि यह भाषा हिन्दू और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है।
- लेकिन उन्नसवीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी धीरे-धीरे बदल रही थी।

- जैसे-जैसे साम्प्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी।
- नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

हिन्दी की हिमायत

आर. वी. घुलेकर – संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य थे।

हिन्दी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

❖ लेकिन संविधान सभा के सभी सदस्य हिन्दी नहीं समझते थे।

इस सदन में जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है। उन्हें चले जाना चाहिए।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

संविधान सभा की भाषा समिति की रिपोर्ट :-

- राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों की बीच पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला पेश किया ।
- देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भारत की राजकीय भाषा होगी।
- पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।
- प्रत्येक प्रान्त को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- संविधान सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था।
- लेकिन आर.वी. धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे।
- वे चाहते थे कि हिन्दी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाये।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

वर्चस्व का भय

श्रीमती जी. दुर्गाबाई – मद्रास

- दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है।

"विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है....."

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?

अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गाँधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था :

यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फ़ारसीनिष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुलमिल सकते हैं।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बाँध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा।

हरिजन सेवक, 12 अक्तूबर 1947



संविधान सौंपते हुए बी. आर. अम्बेडकर और राजेन्द्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

काल रेखा

1945	
26 जुलाई	ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है।
दिसंबर–जनवरी	भारत में आम चुनाव
1946	
16 मई	कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषण करती है।
16 जून	मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है।
16 जून	कैबिनेट मिशन केन्द्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

काल रेखा	
1946	
2 सितंबर	कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है।
13 अक्टूबर	मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है।
3–6 दिसंबर	ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता।
9 दिसंबर	संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

काल रेखा

1947	
29 जनवरी	मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है।
16 जुलाई	अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक
11 अगस्त	जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।
14 अगस्त	पाकिस्तान की स्वतंत्रता : कराची में जश्न
14–15 अगस्त मध्यरात्रि	भारत में स्वतंत्रता का जश्न
1949	
दिसंबर	संविधान पर हस्ताक्षर